न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।

दाण्डिक वाद संख्या- 87 / 2017

सरकार बनाम सुखलाल

मु.अ.सं.- 56 / 2017
धारा-60 आबकारी अधिनियम।
थाना-मऊ।
जिला-चित्रकूट।

आरोप

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्त सुखलाल को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-12.01.2017 को समय लगभग 09:30 बजे, स्थान-शिवपुर तिराहा से 60 कदम दूरी, शिवपुर रोड वहद ग्राम-शिवपुर, मऊ, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में थाना हाजा की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब महुआ बरामद की गई है जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-15.03.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-15.03.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।